



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092026-276082
CG-DL-E-09092026-276082

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4747]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2026/भाद्र 16, 1948

No. 4747]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2026/BHADRA 16, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2026

का.आ. 4937(अ).— यतः, मै. मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने कर्नाटक राज्य के जिला बेंगलूर में गांव रचेनाहल्ली, नागवारा और तानिसंड्रा, जिला में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र में नीचे दी गई तालिका में उल्लेखित क्षेत्रों को अधिसूचित/ अनधिसूचित किया था: -

क्र. सं.	अधिसूचना सं./ दिनांक	अधिसूचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अनधिसूचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	परिणामी क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(i).	का.आ.1980(अ)दिनांक 16.11.2006	22.348	-	22.348

(ii).	का.आ.388(अ) दिनांक 06.03.2012	6.9517	3.0980	26.2017
(iii).	का.आ.3842(अ) दिनांक 29.08.2023	-	2.10	24.1017
(iv).	का.आ.2770(अ) दिनांक 15.07.2024	-	4.9026	19.1991

और यतः, मै. मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में से 1.4310 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः, कर्नाटक सरकार ने पत्र संख्या सीआई 105 एसपीआई 2023 दिनांक 17 अप्रैल, 2026 के तहत प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है;

और, यतः, विकास आयुक्त, कोचीन विशेष आर्थिक जोन ने 1.4310 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है;

और, यतः, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) और अन्य संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 1.4310 हेक्टेयर के क्षेत्र को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 17.7681 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचना के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वे नंबर और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	सर्वे नंबर	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	नागवारा	112(पी)	0.0800
2.		113(पी)	0.4250
3.		114(पी)	0.6190
4.		123(पी)	0.0700
5.		124(पी)	0.2370
कुल अनधिसूचित क्षेत्रफल			1.4310
उपयुक्त अनधिसूचना के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			17.7681

[फा. सं. एफ.2/96/2005-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)**

(SEZ Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2026

S.O. 4937(E).— Whereas, M/s. Manyata Promoters Private Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up an Information Technology and Information Technology Enabled Services Special Economic Zone at Villages Rachenahalli, Nagavara and Tanisandra, District Bangalore, in the State of Karnataka;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified/de-notified the following areas at above Special Economic Zone as per the details given below in the table: -

S. No.	Notification No./dated	Notified Area (in hectares)	De-Notified Area (in hectares)	Resultant Area (in hectares)
i.	S.O. 1980(E) dated 16.11.2006	22.348	-	22.348
ii.	S.O. 388(E) dated 06.03.2012	6.9517	3.0980	26.2017
iii.	S.O. 3842(E) dated 29.08.2023	-	2.10	24.1017
iv.	S.O. 2770(E) dated 15.07.2024	-	4.9026	19.1991

AND, WHEREAS, M/s. Manyata Promoters Private Limited has now proposed for de-notification of 1.4310 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Karnataka has given its approval to the proposal vide letter No.CI 105 SPI 2023 dated 17th April, 2026;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 1.4310 hectares of the above the Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 1.4310 hectares of the above Special Economic Zone, thereby making the total area of the Special Economic Zone as 17.7681 hectares. The survey numbers and area for the de-notification are given below in the table, namely: -

TABLE FOR DE-NOTIFICATION OF AREA

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Total Area (in Hectares)
1.	Nagawara	112(P)	0.0800
2.		113(P)	0.4250
3.		114(P)	0.6190
4.		123(P)	0.0700
5.		124(P)	0.2370
Total			1.4310
Grand Total Area of SEZ after above deletion			17.7681

[F. No. F.2/96/2005-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.